संख्या-12/2020/602/सैंतीस-2-2020-1(16)/2019

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-12 मार्च, 2020

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अधीन 100 प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन हेतु मैत्री (रा.यो.) के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ के पत्र सं0-1435(3)/टी.ई.-14/76प्र/मैत्री/यू.पी.एल.डी.बी./2019-20, दिनांक-11.02.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-5/2020/225/सैंतीस-2-2020-1(16)/2019, दिनांक-05.02.2020 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-11-100 प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन हेतु मैत्री के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में रू0-127.91 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। इस संबंध में अग्रेतर यह व्यवस्था की जाती है कि शासनादेश दिनांक-05.02.2020 द्वारा उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आहरित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- शासनादेश दिनांक-05.02.2020 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश में अंकित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-192/दस-2020, दिनांक-05.03.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-12/2020/602(1)/सैंतीस-2-2020- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in